न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 4/2018(राजस्व वाद)

दायर दिनांक– 30.1.2018

फैसल दिनांक – 16.5.18

1– श्रीमती संगीता बेवा भुवनप्रकाश ब्राम्हण निवासी रामसौर तहसील गलियाकोट

(वादिया)

बनाम

1– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गलियाकोट

(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री मयंक दोसी

वकीलप्रतिवादी–पैरोकार सरकार

वाद बाबत नक्षे में सही पैमुदगी करने

निर्णय

वाद वादिया का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया के पति भूवनप्रकाश पिता रमेशचन्द्र ब्राम्हण निवासी रामसोर को मोजा रामसोर के बिलानाम खसरा नम्बर474 की रकबा 9 बीघा भूमि में से 4चार बीघा भूमि वर्ष 1992 में आवंटित हुई थी । जिसका नवीन खसरा नम्बर 2295/474 पडा । स्व0 भूवनप्रकाश उसे हुए आवंटन के अनुसार मौके पर काबिज है एवं आवंटन शूदा भूमि पर उसका कब्जा है । भूवनप्रकाश की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम दर्ज होकर वादिया का कब्जा है ।

यह कि वादिया मोके पर आवंटन अनुसार वर्ष 1992 से काबिज है लेकिन वादिया को पता चला है कि उसे जहां वह मौके पर बैठी हुई है उसी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

अनुसार आवंटन तो हुआ लेकिन उसके कब्जे वाली खसरा नम्बर 2295/474 की भूमि मूल खसरा नम्बर 474 के नक्षे में निचले दक्षिण वाले भाग में पैमुद की जानी चाहिए थी उसके बजाय नक्षे में उपर की उत्तर की तरफ के भाग पर पैमुद कर दी गई है ।जबकि वादिया को उसके कब्जे व आवंटन के अनुसार नक्षे में राजस्व विभाग द्वारा पैमुद की जानी चाहिए थी । राजस्व विभाग के नक्ष में वादीया की भूमि उसके कब्जे अनुसार पैमुद नहीं होने से मौके पर विवाद हो सकता है एवं इस त्रूटि का फायदा उठाकर वादिया को उसकी भूमिपर कोई भी व्यक्ति बेदखल कर सकता है ,वादिया की जमीन के पास उसके स्वामित्व एवं कब्जेदारी के अन्य खसरे भी है । यह कि राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम का व जमीन का विवरण तो बिल्कुल सही है लेकिन उसको नक्षा ट्रैस में नीचे दक्षीण की तरफ बताना चाहिए था उसके बजाय गलती से उपर उत्तर की तरफ पैमुद किया गया है जबकि उसको भूमि आवंटन करते वक्त उसके कब्जे के अनुसार आवंटन किया गया था ।

वादिया ने वाद के अन्त में राजस्व रेकार्ड में मोजा रामसोर के वर्तमान खसरा नम्बर 2295/474 की रकबा चार बीघा जमीन का तरमीम पैमुद कर मौके रकबापर वास्तव में वादिया आवंटन अनुसार बैठी हुई है उस अनुरूप मूल खसरा नम्बर 474 के नीचे दक्षिण की तरफ अंकन किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादिया द्वारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी एवं नक्षा ट्रैस की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी की ओर से रेकार्ड के आधार पर निर्णय हेतु सहमती व्यक्त की गई । जवाब प्रतिवादी प्रस्तुत होने पर वकील वादी के द्वारा साक्ष्य में वादीया संगीता के बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई । प्रतिवादी की ओर से जिरह नही की जाकर तहसीलदार गलियाकोट से प्राप्त मोका रिपोर्ट पर बहस की गई । बहस के दौरान वकील वादी द्वारा मौका रिपोर्ट सही नही होने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गलियाकोट को पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश दिए गए । तहसीलदार गलियाकोट द्वारा मोका रिपोर्ट जरिये कमांक राजस्व/200 दिनांक 4.5.2018 से प्रस्तुत की गई । प्राप्त मोका रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर

अखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

2295/474 रकबा 4.00 बीघा कृषि हेतु जरिये नामान्तरकरण 272दिनांक 3.7.1992 के द्वारा भूवनप्रकाश पिता रमेशचन्द्र के नाम राजस्व रेर्काड होकर नामान्तरकरण संख्या 354 द्वारा खातेदारी दर्ज हुई एवं जरिये नामान्तरकरण संख्या 467 विरासती से संगीता बेवा भूवनप्रकाश के नाम खता संख्या 173 मौजा रामसौर दर्ज रेर्काड है । आवंटित क्षेत्रफल 4.00 बीघा के मुकाबले थूअर की बाड के रूप में 2बीघा 19 बिस्वा एवं थुअर की बाड से सटकर जूताई किया भाग 1बीघा 01 बिस्वा इस प्रकार कुल 4.00 बीघा का मौके पर कब्जा होकर वर्तमान पैमुदगी एंव चाही गई पैमुदगी का नक्शा संलग्न प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त मौका रिपोर्ट के कम में वकील वादी एंव पैरोकार सरकार को सुना गया । रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित पैमुदगी से सहमत है ।

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गलियाकोट की रिपोर्ट के संलग्न नवीन प्रस्तावित पैमुदगी के नक्शे के अनुसार पैमुदगी किए जाने का आदेश दिया जाता है । आदेशानुसार तहसीलदार गलियाकोट मय प्रस्तावित नक्शे के लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/5/18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा